

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 01.09.22

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य हेतु कुल रुपये 80.766 लाख (रुपये अस्सी लाख छिहत्तर हजार छः सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 26/19.08.2019 (Online A.A.-1143/ 16.08.2022) एवं 48/16.10.2017 (Online A.A.-1144/ 16.08.2022)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन आवंटन संसूचित किया जाता है :-

(लाख रु. में)							
क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 39- नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020010139000545	4900.00	26.647	55.766	82.413
2.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोग/ 39- नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020079639000545	5555.00	205.25071	25.000	230.25071
कुल :-					231.89771	80.766	312.66371
आवंटित राशि - रुपये अस्सी लाख छिहत्तर हजार छः सौ मात्र।							

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2022-23 के बजट शीर्ष- 47020010139000545 के बजट उपबंध राशि रु. 4900.00 लाख (रुपये उनचास करोड़) तथा बजट शीर्ष- 47020079639000545 के बजट उपबंध राशि रु. 5555.00 लाख (रुपये पचपन करोड़ पचपन लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681, दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. मूल प्रशासनिक स्वीकृतादेश सं० 26/19.08.2019 तथा 48/16.10.2017 अंतर्गत विकलनीय शीर्ष OSP- 19/ TSP- 19 प्रस्तावित था। विभागीय पत्रांक 2218 दिनांक 21.04.2022 के आलोक में उक्त बजट शीर्ष का merger OSP- 39/ TSP- 39 में किया गया। मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, राँची से मार्च 2022 तक प्राप्त व्यय प्रतिवेदन के आधार पर नवसृजित बजट शीर्ष में ऑनलाईन स्वीकृतादेश से संबंधित विवरण निम्नवत् है :-

राशि —लाख में

क्रमांक	प्र० स्वी० संख्या	प्र० स्वी० की मूल राशि	मार्च 2022 तक व्यय	अवशेष राशि	Online स्वीकृतादेश का विवरण		
					OSP-39 में प्रस्तावित राशि	TSP-39 में प्रस्तावित राशि	संख्या/तिथि
1	26/19.08.2019	251.204	90.946	160.258	45.741	114.571	1143/16.08.2022
2	48/16.10.2017	75.82	14.459	61.361	61.361	0.00	1144/16.08.2022

8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका LOC एवं Access no. परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 411

राँची, दिनांक :- 01.09.22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/लोहरदगा/कोडरमा/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 111

राँची, दिनांक :- 01.09.22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(हरेंद्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक 111

दिनांक 01.09.2022

का अनुलानक

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष-101-सतही जल,
उप शीर्ष-39-नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विरुद्ध शीर्ष-05-निर्माण
बजट उपवर्ग (2022-23) - रुपये 4900.00 लाख (रुपये उन्नावास करोड़) मात्र
विपत्र कोड- 50S47020010139000545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			(राशि लाख रुपये में)							
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग	एकरचना की राशि	मार्च 2022 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	योजना पर कुल आवंटन (10+13)	Online Allotment LOC/ Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMIRA01)	कोडरमा	सतनावां	पहाड़ सिंह खैरा ग्राम में उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	26/2019-20 dt. 19.08.2019	45.741	1143 dt. 16.08.2022	32.201	0.000	0.000	43.166	43.166	43.166	1080 45310	
योग :-						45.741		32.201	0.000	0.000	43.166	43.166	43.166		
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIRA001)	बोकारो	चन्द्रनिकियासी	कनकवास ग्राम में उदवह सिंचाई योजना का पुनर्निमाण	48/2017-18 dt. 16.10.2017	38.506	1144 dt. 16.08.2022	24.888	14.459	0.000	12.600	12.600	27.059	856 45303	
योग :-						38.506		24.888	14.459	0.000	12.600	12.600	27.059		
सकल योग :-						84.247		57.089	14.459	0.000	55.766	55.766	70.225		
आवंटित राशि - रुपये पचपन लाख छिहत्तर हजार छः सौ मात्र।															

(हरिन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता(राजेंद्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रघुवाम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक 111

दिनांक 01.09.22

का अनुदानक

परिशिष्ट -2

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष-39-नई एवं चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण
बजट उपबंध (2022-23) - रुपये 5555.00 लाख (रुपये पचपन करोड़ पचपन लाख) मात्र
विपन कोड- 50S47020079639000545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकरचनामा की राशि	मार्च 2022 तक व्यय	वर्ष 2022-23 से			योजना पर कुल अवतन आवंटन (10+13)	Online Allotment LOC/ Access No.	अव्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा (LDGIRR001)	लोहरदगा	लोहरदगा	मन्डो उदवह सिंचाई योजना का निर्माण	26/2019-20 dt. 19.08.2019	72.473	1143 dt. 16.08.2022	59.694	39.564	0.000	25.000	25.000	64.564	68 45284	
कुल :-						72.473		59.694	39.564	0.000	25.000	25.000	64.564		

आवंटित राशि - रुपये पच्चीस लाख मात्र।

(हिरन कुमार)
सहायक अभियंता(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव